| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल [illegible] |
|---|---|
| 13/2/24 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर। वकील अप्रार्थी हाजिर नहीं। का. मु. प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थी अवकाश लिया जाता है। 20/2/24 को पेश हो। नियत |
| 20/2/24 | पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से आदेश 22 नियम 3 के प्रा०पत्र प्रार्थी क्र० 1 पर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी सं. 1 कन्ना की मृत्यु हो चुकी है अतः आवेदन स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी ने मुख्य प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थी सं. 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया, न ही दफा 5 का प्रा. पत्र पेश किया, मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में सूचना दी जानी चाहिये, जो नहीं दी गई। प्रार्थी की मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु उक्त दस्तावेज समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने से वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र अस्वीकार किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने केवल मात्र आदेशिका दि० 11/7/22 पर प्रार्थी सं. 1 की मृत्यु होना अंकित किया है, इसके पश्चात [illegible] में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, न ही पत्रावली पर कोई अभिलेख है, वकील अप्रार्थी द्वारा बताये गये दस्तावेज की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 3 अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हुई है एवं आदेश 22 नियम 3 का प्रा. पत्र अस्वीकार होने से प्रार्थना पत्र अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 15:24:04 IST
Reason: SelfAttested